प्रेस नोट -थाना धौलाना **31.07.2021**

थाना धौलाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 265/21 धारा 302/120 बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष उर्फ नीलू उर्फ अशोक को पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर घटना में प्रयुक्त पिस्टल(आला कत्ल) व मोबाइल फोन बरामद किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड के निर्देशन से अभियुक्त आशीष उर्फ नीलू उर्फ अशोक सम्बन्धित मु0अ0सं0 265/21 धारा 302/120B भादवि को माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर लेकर उक्त अभियोग में घटना कारित करने के लिए प्रयोग किये गये आलाकत्ल की बरामदगी एवं घटना के सम्बन्ध में गहराई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त आशीष उर्फ नीलू उर्फ अशोक पुत्र गजेन्द्र निवासी विलायतनगर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ने पूछने पर बताया कि मै व मेरे गाँव का संजय पहले साझे मे शराब का काम करते थे, मेरी शराब से भरी गाडी थाना गुलावटी जनपद बु0शहर मे पकडी गयी थी, जिसमें मै जेल चला गया था तो जेल में संजय न तो मुझसे मिलने आया और न ही मेरी पैरवी की बल्कि मेरे नाम पर 12 लाख रूपये की उधार शराब ले आया तथा पहले से भी संजय पर मेरे 05-06 लाख रूपये थे। जब मै जेल से छूटकर आया तो संजय से हिसाब माँगा तो उसने हिसाब देने से मना कर दिया। इसके बाद मै ग्राम पंचायत का चुनाव से कुछ पहले संजय मुझसे मिला तो मैने चुनाव लडने की इच्छा जाहिर की तथा अपने रूपये वापस माँगे तो संजय ने अपने भाई कामेश को मेरे सामने प्रधान पद के उम्मीदवार हेतु खडा कर दिया था, जिस कारण हम चुनाव नही लड पाये। संजय ने न तो मुझे चुनाव लडने दिया और न ही मेरे रूपये वापस किये और मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी मुखबिरी कराने लगा। इन सब बातो से आहत होकर मैने अपने साथियो मुल्ला यामीन पुत्र रियासत निवासी बझैडा कला थाना धौलाना जनपद हापुड, असलम पुत्र मंगलू निवासी निवासी जाकिर कालोनी, थाना लिसाडी गेट, जनपद मेरठ, कमर अब्बास पुत्र स्व0 अख्तर निवासी ग्राम अन्ती, जनपद मुजफ्फरनगर से मिलकर योजनाबद्ध तरीक से शौलाना मोड़ कस्बा धौलाना में संजय की हत्या कर दी तथा हत्या करके भागते समय चूँकि चारो तरफ पुलिस की चैंकिग चल रही थी कही मैं मय असलहा के पकडा ना जाँऊ। पुलिस से बचने के लिए मैने अपना पिस्टल व घटना मे इस्तेमाल किया मोबाइल फोन नहर किनारे झाडियो मे छुपा दिया था। पुलिस द्वारा लगातार मेरे घर व रिश्तेदारो के यहाँ दबिश दी जा रही थी। इसी डर व दबाव में आकर मै दिनाँक 15.07.21 को मु0अ0सं0 797/08 धारा 392/411/120बी भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के मुकदमे गाजियाबाद न्यायालय में हाजिर हो गया। अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0सं0 265/21 धारा 302/120बी भादवि में पीसीआर पर लेकर उसकी निशानदेही पर दिनाँक 30.07.21 को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (01अदद पिस्टल 09एमएम) तथा 01 मोबाइल इकलैडी गाँव से पहले नहर के किनारे झाडियों से बरामद किया गया। बरामदशुदा अवैध पिस्टल के बिनाह पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 297/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आशीष उर्फ नीलू उर्फ अशोक पुत्र गजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम विलायतनगर थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर

बरामदा माल का विवरण-

1.एक अदद 9 एमएम पिस्टल।

2.एक अदद मोबाइल फोन गोल्डन रंग HONOUR कंपनी।

अभियुक्तआशीष उर्फ नीलू उर्फ अशोक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	797/08	392/411 IPC	मसूरी	गाजियाबाद
2	01/09	147/148/149/307 भादवि	मसूरी	गाजियाबाद
3	06/09	25 आर्म्स एक्ट	मसूरी	गाजियाबाद
4	797/10	386 भादवि	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर
5	146/11	60/63/72 आबकारी अधि0 व 120बी, 420 भादवि	अहमदगढ	बुलन्दशहर
6	124/13	60/63 आबकारी अधि0 व 420 भादवि	गुलावटी	बुलन्दशहर
7	19/20	60/72 आब0अधि0 व 420/467/471 भादवि 3 कापीराइट एक्ट	शिकारपुर	बुलन्दशहर
8	265/21	302/120बी भादवि	धौलाना	हापुड़
9	297/21	3/25/27 आर्म्स एक्ट	धौलाना	हापुड

बरामद करने वाली टीम का विवरणः –

1. प्र0नि0 श्री दिनेश सिंह यादव थाना धौलाना जनपद हापुड
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड
3. एचसी 566 संजय यादव थाना धौलाना जनपद हापुड
4. का0 269 पंकज कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड
5. का0 264 अजय कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड